



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गम्भीर अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है।
- ❖ जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने साथियों संग मिलकर गम्भीर अपराध हत्या, लूट, डैकैती, वसूली /अवैध वसूली, आमजन से मारपीट करना / धमकाना, जान से मारने की नियत से फायर / हमला करना, सरकारी कर्मचारी पर हमला कर आमजन में भय व्याप्त करने वाले शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत 46 अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद बांदा के विभिन्न थानों पर 14 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।

जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

थाना-बबेरू- 1-अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1- रामकरन पुत्र देवराज उर्फ शिवगोपाल निवासी तिंदवारी रोड साहू मोहल्ला कस्बा थाना बबेरू जनपद बांदा, 2- अभिषेक पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम गुजेनी थाना मरका जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगणों द्वारा गिरोह बनाकर मोटरसाइकिलों की चोरी करना व उनके पार्ट को बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना-बिसण्डा-1-अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1- आदेश पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम पुनाहुर थाना बिसण्डा जनपद बांदा. 2- रामनिहोर पुत्र चन्द्रपाल निवासी पीएचसी कस्बा थाना बिसण्डा जनपद बांदा, 3- विष्णु परिहार उर्फ विष्णु पुत्र मंगल निवासी ग्राम पुनाहुर थाना बिसण्डा जनपद बांदा, 4- माताबदल उर्फ रज्जू पुत्र रामआसरे उर्फ बेटू निवासी ग्राम बाधा थाना बिसण्डा जनपद बांदा व 5- अशोक पुत्र चन्द्रपाल निवासी बबेरू रोड कस्बा थाना बिसण्डा जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीन की खरीद फरोस्त कर साक्ष्य छुपाने हेतु हत्या जैसा जघन्य अपराध करके अवैध धन अर्जित करना।

थाना-अतरा-1-अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1- हसीबुद्दीन उर्फ पप्पू उर्फ सीटी पुत्र समसुद्दीन निवासी अंश दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा, 2- अरुण कुमार पुत्र रामकरन निवासी ग्राम बरछा थाना बदौसा जनपद बांदा व 3- अभिषेक उर्फ छोटू पुत्र छेदीलाल के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर बीएनएस के अध्याय 17 में वर्णित अपराध करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना बदौसा -1-अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-अनूप पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम नागवारा थाना अतरा जनपद बांदा, 2- बारेलाल उर्फ विजय पुत्र रामदीन निवासी अंश दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा, 3- लवकुश पुत्र जगपत निवासी थाना बदौसा जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में चोरी व नकबजनी जानी करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना-कोतवाली नगर-1-अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-योगेंद्र कुमार उर्फ रिंकू पुत्र राममिलन उर्फ फौजी निवासी ग्राम लामा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा, 2- दुर्गेश पुत्र स्वर्गीय लखन लाल निवासी गौरी कला थाना जसपुरा जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिलों की चोरी करना व उन्हें बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

2- अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-दिनेश कुमार पुत्र बितानी निवासी ग्राम तारायाँ थाना बबेरु जनपद, 2- रवि पुत्र मुन्नालाल निवासी मो0 सैद तलैया अलीगंज के विरुद्ध मु0अ0सं0 02/2026 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिलों की चोरी करना व उन्हें बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

3- अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-विवेक कुमार पुत्र देवप्रसाद निवासी कस्बा बबेरु थाना बबेरु जनपद बांदा, 2- अरविन्द पुत्र रामेसुर निवासी ग्राम पिपरी थाना गिरवां जनपद बांदा, 3- पंकज पुत्र छोटे निवासी ग्राम जमुनियापुरवा थाना बबेरु जनपद बांदा, 4- सन्तलाल उर्फ निराला पुत्र शिवपूजन निवासी नहर पटरी थाना बबेरु जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 04/2026 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में वाहनों की चोरी करना व उन्हें बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

4- अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-राशिद पुत्र रसीद उर्फ कल्लू निवासी गूलरनाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा, 2- गोली उर्फ मंगल पुत्र इन्ड्रकिशोर निवासी चुआ खेरवा थाना बरौंधा जनपद सतना (म0प्र0)व 3-अरविन्द पुत्र नथु निवासी थाना नरैनी जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 05/2026 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में वाहनों की चोरी करना व उन्हें बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना-पैलानी-1- अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-भरतलाल पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम शिवपाल डेरा अंश खप्टिहाकलां थाना पैलानी जनपद बांदा, 2- अरविन्द पुत्र राजाभड़िया निवासी ग्राम अछरौड़ थाना मटोंध जनपद बांदा, 3- अशोक पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम भज्जू का पुरवा गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा, 4- संजय उर्फ तनु पुत्र जगदीश निवासी ग्राम खप्टिहाकलां थाना पैलानी जनपद बांदा थाना व 5- अमरेन्द्रजीत उर्फ मिन्टा पुत्र बृजराज निवासी ग्राम शिवपाल डेरा अंश खप्टिहाकलां थाना पैलानी जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की खरीद फरोस्त करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना-नरैनी-1-अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-शीबू अंसारी पुत्र बहीद उर्फ बाहिद अंसारी निवासी कस्बा नरैनी थाना नरैनी जनपद बांदा, 2- रवि पुत्र रामचन्द्र निवासी मो0 राजनगर कस्बा नरैनी थाना नरैनी जनपद बांदा, 3- अरुण पुत्र दशरथ निवासी ग्राम प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में समाज विरोधी क्रिया कलाप करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना-कोतवाली देहात- 1-अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-अखिलेश पुत्र संतोष निवासी ग्राम मबई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा, 2- पवन पुत्र राजू निवासी ग्राम मबई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा, 3- अजय पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम पिपरहरी थाना पैलानी जनपद बांदा व 4- राजू पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम मबई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(बी)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर बीएनएस के अध्याय 17 में वर्णित अपराध करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना-मटौंध-1- अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-चन्द्रभान उर्फ चन्दु पुत्र भूरा निवासी ग्राम मकरबई खोह थाना कबरई जनपद महोबा, 2- हृदेश उर्फ ब्रजेश पुत्र मलखान निवासी ग्राम बाघवा खोह थाना कबरई जनपद महोबाव 3- शिवपूजन पुत्र मोहन निवासी ग्राम धण्डवा थाना खन्ना जनपद महोबा के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1)3/(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में राहगीरों के साथ मारपीट कर वाहनों व पैसों की लूट करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना-मरका-1- अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-प्रभाकर उर्फ चेतन पुत्र रमेश निवासी ग्राम लिलरा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर, 2- निशांत पुत्र कपूर, 3- अभिषेक पुत्र कल्लू, 4- शनि उर्फ अविनाश पुत्र अनिल निवासीगण थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1)3/(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर बीएनएस के अध्याय 17 में वर्णित अपराध करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।

थाना-चिल्ला-1- अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त 1-आकाश पुत्र मेवालाल, 2- विक्रम उर्फ शेरा पुत्र रामप्रसाद, 3- कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासीगण ग्राम डिघवट थाना चिल्ला के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(1)3/(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र में घरों में व वाहनों की चोरी करना व उन्हें बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाना।